न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 833 सन 2021

अनवान :–

1. हरिसिंह पुत्र मदनलाल जाति जाट साकिन भगवान तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. दशरथ पुत्र मदनलाल जाति जाट साकिन भगवान तहसील नोहर।

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री विजयसिंह कडवासरा अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 24/01/2022

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा सोनडी के पुराना खसरा न0 206 की 24.19 बीधा भूमि नन्दराम पुत्र बुधराम साकिन भगवान के कब्जा काश्त की भूमि थी।

नन्दराम पुत्र बुधराम जाति जाट साकिन भगवान ने अपने कब्जा काश्त की भूमि रोही मौजा सोनडी के पुराना खसरा संख्या 206 की 24.19 बीधा को दिनांक 03.12.1973 को जरिये रजिस्टर बेयनामा वादीगण संख्या 1 ,2 का बहिव फरोख्त कर दी तथा खरीद के वक्त से उक्त भूमि वादीगण के कब्जा काश्त में चली आ रही है।

वाद भूमि रोही मोजा सोनडी के हाल खसरा संख्या 206 की 24.19 बीधा के हाल खसरा न0 375 में परिर्वतन पैमुद किये गये तथा मौका पैमाईश के अधिकारीयो ने जांच कर 24.19 बीधा भूमि का पर्चा लगान व पर्चा प्रमाणकन जारी किया गया।

भू0प्रबन्ध विभाग के द्वारा रोही मौजा सोनडी के साबिका खसरा नम्बर 206 की 24.19 बीधा के हाल खसरा न0 375 में परिर्वतन किया जाकर रकबा 24.19 बीधा में पैमुद किया जाना चाहिये था किन्तु सहवन से हाल खसरा न0 375 की कुल 24.19 बीधा के स्थान पर 24.00 बीधा दर्ज कर दी जो विधिविरूद्व है।

भू0प्रबन्ध अधिकारीयो के द्वारा साबिका खसरा नम्बर की भूमि को हाल खसरा नम्बर में परिर्वतन किया जाकर रकबा यथावत दर्ज किया जाना चाहिये था रकबा कम या ज्यादा बिना किसी आदेश के दर्ज करने का अधिकार नही था फिर भी वाद भूमि का 19 बिश्वा भूमि कर दर्ज कर दी।

वादीगण के द्वारा खरीद की गई 24.19 बीधा भूमि वादीगण के लगातार कब्जा काश्त में चली आ रही हे किन्तु वर्तमान राजस्व रिकार्ड में 24.00 बीधा दर्ज है जिससे वादीगण के खातेदारी अधिकारो का हनन होता है वादीगण अपने हक हिस्सा एवं कब्जा काश्त की खरीदशुद्वा 24.19 बीधा भूमि को वर्तमान जमाबन्दी में दर्ज/संशोधन करवाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादीगण के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की रोही मौजा सोनडी के साबिका खसरा न0 206 के हाल खसरा न0 375 की 24.00 बीधा के स्थान पर 24.19 बीधा भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 की और से पेरोकार राज उपस्थित आकर पटवारी

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

हल्का की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसके अनुसार वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 में खसरा न0 375 की कुल 6.070हैव भूमि दर्ज है भू0प्रबन्ध विभाग के मिलान क्षेत्रफल में गत खसरा संख्या 206भी वर्तमान खसरा संख्या 375 मे 24.00 बीघा दर्ज है गिरदावरी सम्वत 2012 से 2015 में उक्त खसरा न0 206 हाल खसरा न0 375 की 24.19 बीघा दर्ज रिकार्ड है इसी अनुसार भू0प्रबन्ध विभाग के पर्चा लगान में भी 24.19 बीघा दर्ज है दिनांक 03.12.1973 के विक्रय पत्र में भी साबिका खसरा न0 206 की 24.19 बीघा दर्ज है साबिका खसरा न0 206 के हाल खसरा न0 375 का रकबा 24.19 बीघा किये जाने की अभिशषा की गई जिसे पेरोकार के द्वारा प्रस्तुत किया गया है एवं साक्ष्यो के आधार पर निर्णय पारित करने का निवेदन किया गया

प्रकरण में प्रतिवादी पेरोकार राज का अभिशषा जवाब पेश होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा सोनडी के पुराना खसरा न0 206 की 24.19 बीघा भूमि नन्दराम पुत्र बुधराम साकिन भगवान के कब्जा काश्त की भूमि थी।

नन्दराम पुत्र बुधराम जाति जाट साकिन भगवान ने अपने कब्जा काश्त की भूमि रोही मौजा सोनडी के पुराना खसरा संख्या 206 की 24.19 बीघा को दिनांक 03.12.1973 को जरिये रजिस्टर बेयनामा वादीगण संख्या 1 ,2 का बहिय फरोख्त कर दी तथा खरीद के बक्त से उक्त भूमि वादीगण के कब्जा काश्त में चली आ रही है।

वाद भूमि रोही मोजा सोनडी के हाल खसरा संख्या 206 की 24.19 बीघा के हाल खसरा न0 375 में परिर्वतन पैमुद किये गये तथा मौका पैमाईश के अधिकारीयो ने जांच कर 24.19 बीघा भूमि का पर्चा लगान व पर्चा प्रमाणकन जारी किया गया।

भू0प्रबन्ध विभाग के द्वारा रोही मौजा सोनडी के साबिका खसरा नम्बर 206 की 24.19 बीघा के हाल खसरा न0 375 में परिर्वतन किया जाकर रकबा 24.19 बीघा में पैमुद किया जाना चाहिये था किन्तु सहवन से हाल खसरा न0 375 की कुल 24.19 बीघा के स्थान पर 24.00 बीघा दर्ज कर दी जो विधिविरूद्व है।

भू0प्रबन्ध अधिकारीयो के द्वारा साबिका खसरा नम्बर की भूमि को हाल खसरा नम्बर में परिर्वतन किया जाकर रकबा यथावत दर्ज किया जाना चाहिये था रकबा कम या ज्यादा बिना किसी आदेश के दर्ज करने का अधिकार नही था फिर भी वाद भूमि का 19 बिश्वा भूमि कर दर्ज कर दी।

वादीगण के द्वारा खरीद की गई 24.19 बीघा भूमि वादीगण के लगातार कब्जा काश्त में चली आ रही हे किन्तु वर्तमान राजस्व रिकार्ड में 24.00 बीघा दर्ज है जिससे वादीगण के खातेदारी अधिकारो का हनन होता है वादीगण अपने हक हिस्सा एवं कब्जा काश्त की खरीदशुद्वा 24.19 बीघा भूमि को वर्तमान जमाबन्दी में दर्ज/संशोधन करवाने के अधिकारी है।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की पटवारी हल्का की विस्तृत रिपोर्ट पेश की जा चुकी है तथा वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा सोनडी के हाल खसरा न0 375 की कुल 24.00 बीघा भूमि वादीगण बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादीगण के द्वारा रिकार्ड /साक्ष्यों के अनुसार रोही मौजा सोनडी के साबिका खसरा न0 206 की कुल 24.19 बीघा भूमि नन्दराम पुत्र बुधराम के कब्जा काश्त की भूमि थी जो प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत 2012 से 2015 से साबित है।

नन्दराम पुत्र बुधराम जाति जाट साकिन भगवान ने अपने कब्जा काश्त की रोही मौजा सोनडी के साबिका खसरा न0 206 की 24.19 बीघा भूमि को जरिये रजिस्टर बेयनामा

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

दिनांक 03.12.1973 को वादीगण के बहिब बेचान कर दी गई थी जो प्रस्तुत बैयनामा से साबित है।

रोही मौजा सोनडी के साबिका खसरा न0 206 की 24.19 बीधा के हाल खसरा न0 375 की कुल 24.19 बीधा में परिवर्तन एवं पैमुद किये गये जो भू0प्रबन्ध विभाग के पर्चा लगान से साबित है। किन्तु वर्तमान आगामी जमाबन्दी में हाल खसरा न0 375 की 24.00 दर्ज कर दी उसी के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज चली आ रही है।

भू0प्रबन्ध विभाग के द्वारा साबिका खसरा नम्बर की भूमि का हाल खसरा नम्बरो में परिवर्तन किया जाकर भूमि पैमुद किये जाने का प्रावधान था भू0 प्रबन्ध विभाग किसी भी काश्तकार की भूमि का कम या ज्यादा बिना किसी सक्षम अधिकारी के राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने का अधिकार नही था वादीगण की 19 बिश्वा भूमि बिना अधिकार राजस्व रिकार्ड में कम दर्ज की गई है जिसे संशोधन करवाने का वादीगण का अधिकार है तथा पटवारी हल्का की रिपोर्ट से पूर्णतया स्पष्ट है कि वादीगण के कब्जा काश्त में खसरा नम्बर 375 की कुल 24.19 बीधा भूमि बैयनामा के अनुसार कब्जा काश्त में है केवल राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में 19 बिश्वा दर्ज है जिसे वादी संशोधन करवाकर 24 बीधा के स्थान पर 24.19 बीधा संशोधन करवाने का अधिकारी है।

अतः वादी का वाद पैरोकार राज /पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 706/677 के खसरा न0 375 की 24 बीधा यानी 6.0700हैक के स्थान पर 24.19 बीधा अर्थात 6.12007 हैक भूमि के वादीगण खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 24/01/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. हरिसिह पुत्र मदनलाल जाति जाट साकिन भगवान तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. दशरथ पुत्र मदनलाल जाति जाट साकिन भगवान तहसील नोहर।

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 833 सन 2021 निर्णय दिनांक– 24/01/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 706/677 के खसरा न0 375 की 24 बीघा यानी 6.0700हैक के स्थान पर 24.19 बीघा अर्थात 6.12007 हैक भूमि के वादीगण खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 24/01/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner